(98)

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल, म०प्र० ग्वालियर

R 344 - PB/17

96
13/1/17

ओमप्रकाश पिता बापुलालजी कसेरा
निवासी– 42, कसेरा बाजार, रतलाम
हा.मु. ग्राम सुवासरा तह. सीतामउ जिला मन्दसौर म0प्र0
.............आवेदक / रिविजकर्ता

पार्थी अभिभाषक श्री
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 13-1-17
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

विरूद्ध

पी–4 एसोसएिट्स द्वारा भागीदार–
1. विपिन पिता श्री विनोदकुमारजी पितलिया आयु 40 वर्ष
निवासी–ओझाखाली, रतलाम म0प्र0
2. ललीत पिता बसंतीलालजी पटवा आयु 43 वर्ष
निवासी–ओझाखाली रतलाम म0प्र0,
2. श्रीमती विनिता पत्नि विपिनकुमारजी पितलयि आयु 41 वर्ष
निवासी ओझाखाली, रतलाम म0प्र0
3. शांतिलाल पिता धुलचन्द गांधी
निवासी 12, रामगढ़ रतलाम जिला रतलाम म0प्र0
3. श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, राजस्व,
रतलाम (ग्रामीण) म0प्र0 → फार्मल
......अनावेदकगण / रेस्पांडेण्ट्स

~~अनावेदकगण द्वारा~~ न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, रतलाम ग्रामीण (श्री नेहा भारतीय साहब) द्वारा प्रकरण कमांक 5/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 30.12.2016 से असन्तुष्ट होकर यह रिविजन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है–

रिविजन अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं01959

मान्यवर महोदय,

रिविजनकर्ता की ओर से निम्नानुसान रिविजन प्रस्तुत कर निवेदन है कि –

प्रकरण के तथ्य

1– यह है कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक के परदादा – श्री देवीरामजी द्वारा **देवीराम धन्नाजी एण्ड कम्पनी**, 25 कसेरा बाजार, रतलाम में थी तथा आवेदन / रिविजनकर्ता के परदादाजी के देहांत के बाद रिविजनकर्ता के पिता बापुलालजी द्वारा उक्त फर्म देवीराम धन्नाजी एण्ड कम्पनी चलाई गई जो

Omprakash Kasera

निरन्तर//2//

प्रेम कुमार ‹ P.4 एडवोकेट

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 344–पीबीआर/17 जिला रतलाम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–1–2017	आवेदक की ओर से श्री मंसूर अली खान, अभिभाषक उपस्थित । ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30–12–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 18–6–2015 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, और विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र एवं व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 व सहपठित धारा 151 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करते हुए अनावेदक कमांक 1 की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र स्वीकार किये जाकर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	